



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2020/ 508

दिनांक : 07.03.2020

प्रति,

प्राचार्य,
लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय,
लोकमान्य तिलक शिक्षा परिसर,
रेल्वे स्टेशन के पीछे, नीलगंगा रोड़, उज्जैन।

विषय :- विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं आवेदित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का आवेदन क्रमांक/REN61500665 दिनांक 21.01.2019,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 07.01.2020, को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुसंधान वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत गठित संकाय/नवीन संकाय की समिति की बैठक दिनांक 10.02.2020 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति द्वारा अनुसंधान की गई कि, "लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन में सत्र 2019-20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुसंधानानुसार सम्बद्धता निरंतरता प्रदान की जावे।" समिति द्वारा की गई अनुसंधान को माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया।

अतः उक्त महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता/सम्बद्धता-निरंतरता सत्र 2019-20 से, आगामी आदेश तक प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.	100
*	महाविद्यालय को उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरंतरता, माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की याचिका क्रमांक W.P.(C) 8743/2019 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के अनुपालन में के आधार पर प्रदान किया गया है।	
*	आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन से निश्चित समयावधि में करें।	

आदेशानुसार


कुलसचिव

दिनांक : 07.03.2020

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2020/ 509

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
 2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
 3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 4. प्राचार्य, शा.कालिदास कन्या (अग्रणी) महाविद्यालय, देवास।
 5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 6. प्रभारी विधि प्रकोष्ठ, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 7. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
 9. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- की ओर सूचनार्थ।


सहायक कुलसचिव(अकादमिक)